भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2094

12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

छत्तीसगढ़ में पीएमएवाई-यू के तहत पंजीकृत लाभार्थी

2094. श्री विजय बघेलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ में पिछले बारह महीनों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या, स्वीकृत और पूर्ण किए गए घरों की संख्या कितनी है;

(ख) दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के दुर्ग और बेमेतरा जिलों में पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या, स्वीकृत और पूर्ण किए गए घरों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत सभी घरों के पूर्ण होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, आवास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में पात्र शहरी परिवारों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले पक्के आवास प्रदान करने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और किफायती लागत पर 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के आवास के निर्माण हेतु दिनांक 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएं हैं और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई राज्य संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। योजनाओं के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने क्षेत्राधिकार में मांग सर्वेक्षण करते हैं और पात्रता का पता लगाने के लिए लाभार्थियों को सत्यापित करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योजना शहरी गरीबों की आवास आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करती है, मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत एक एकीकृत वेब-पोर्टल विकसित किया गया है। पात्र नागरिक एकीकृत वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते है और अपनी मांग दर्ज करवा सकते है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) योजना दिशा-निर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों को सत्यापित करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कई स्तरों पर लाभार्थी सूची का चयन/संवीक्षा की जाती है। योजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, आवासों को राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है और केन्द्रीय सहायता जारी करने पर विचार करने के लिए केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) को भेज दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा 22.01.2026 तक पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कुल 3.06 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत पिछले 12 महीनों के दौरान 24,799 आवासों को स्वीकृति दी गई है। कुल स्वीकृत आवासों में से, अब तक 2.62 लाख आवास पूरे हो चुके हैं, जिनमें से 10,646 आवासों का निर्माण कार्य पिछले 12 महीनों के दौरान पूर्ण हो चुका है।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ दुर्ग और बेमेतरा जिलों में पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय प्रगति संबंधित विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं। इस योजना की प्रगति को पीएमएवाई-यू के डैशबोर्ड (https://dashboard.pmay-urban.gov.in) पर भी देखा जा सकता है।

(ग) इस योजना के अलग-अलग घटकों में परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के अनुसार सामान्यत परियोजनाओं को पूरा करने की समयावधि में 12-36 महीने लगते हैं। आवासों के निर्माण कार्य को पूरा करने की समय-सीमा विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है जैसे ऋणभार मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए सांविधिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधियों की व्यवस्था आदि। पिछले एक साल के दौरान पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत आवासों को स्वीकृति दी गई है।

*****

दिनांक 12-02-2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2094 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ दुर्ग और बेमेतरा जिलों की भौतिक और वित्तीय प्रगति

क्रम संख्या	विवरण	दुर्ग जिला	बेमेतरा जिला	दुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
1	स्वीकृत आवास (संख्या)	41,118	10,540	49,675
2	निर्माणाधीन आवास (संख्या)	39,998	9,798	48,992
3	पूर्ण हो चुके आवास (संख्या)	36,080	8,946	44,584
4	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रूपये में)	671.47	161.42	803.18
5	जारी की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	632.01	123.15	755.23

*****